

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 454 सन 2020

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरेश कुमार पुत्र रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. रेशमी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
4. विधा पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
5. रामप्यारी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
6. मोहना पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
7. कलावती पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
8. सुनील पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
9. सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
10. इन्द्रावती पत्नी रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
11. अनिता पुत्री रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
12. नेकीराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरीकार राज

निर्णय दिनांक :- 03/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 153/174 की कुल 10.1680 हैक व खाता संख्या 173/122 की कुल 16.8450 हैक व रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 123/124 की कुल 17.4530 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 ,11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री पुत्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 , ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 8,,10 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,10 ता 12 वहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता, 10 ता 12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,10 ता 12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 153/174 की कुल 10.1680 हेक् व खाता संख्या 173/122 की कुल 16.8450 हेक् व रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 123/124 की कुल 17.4530 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 ,11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री पुत्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,9 , ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ,10 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के

उपस्थित अधिकारी
बोहर

आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 153/174 की कुल 10.1680हैक व खाता संख्या 173/122 की कुल 16.8450हैक व रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 123/124 की कुल 17.4530हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038के अनुसार वाद भूमि रावताराम पुत्र महीपत के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम पुत्र महीपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौतों/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8, 10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 123/124 में की कुल 17.4530हैक प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा भूमि यानि 2.9088हैक एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 153/174 की कुल 10.1680हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 565/10168हिस्सा यानि 0.565हैक में खाता संख्या 173/122 की कुल 16.8450हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 9361/56150हिस्सा यानि 2.8083हैक भूमि तीनों खातों में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 व 12 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा भूमि रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरेश कुमार पुत्र रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम


1. सुरजाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर।
3. रेशमी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
4. विद्या पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
5. रामप्यारी पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
6. मोहना पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
7. कलावती पुत्री सुरजाराम जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
8. सुनील पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
9. सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
10. इन्द्रावती पत्नी रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
11. अनिता पुत्री रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
12. नैकीराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन भोगराना तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जुरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 454 सन 2020 निर्णय दिनांक-03/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज, की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सयुक्त एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 123/124 में की कुल 17.4530 हेक् प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा भूमि यानि 2.9088 हेक् एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 153/174 की कुल 10.1680 हेक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 585/10168 हिस्सा यानि 0.565 हेक् में खाता संख्या 173/122 की कुल 16.8450 हेक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 9361/56150 हिस्सा यानि 2.8083 हेक् भूमि तीनों खातों में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 व 12 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा भूमि रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)